न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील/14/2021

1. सुरेश सिंह पुत्र रामलाल उम्र 48 साल जाति गूज्रर निवीस दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)
2. कमलेश उर्फ गुडडी पत्नी सुरेश उम्र 43 साल जाति गुर्जर निवासी दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)

....अपीलान्टान

बनाम

गीता पत्नी बल्लो जाति गुर्जर निवासी ग्राम सह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–रामस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.10.2020/26.10.2020 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1231 वाकै ग्राम सैह तहसील कुम्हेर

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.10.2018/26.10.2020 पेश की है। तहसीलदार कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2020 की पालना में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1231 दिनांक 26.10.2020 रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील/15/2021

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
सुरेश सिंह वगैरा बनाम गीता
अपील संख्या 14/2021, 15/2021, 16/2021

1. सुरेश सिंह पुत्र रामलाल उम्र 48 साल जाति गुर्जर निवासी दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)
2. कमलेश उर्फ गुड्डी पत्नी सुरेश उम्र 43 साल जाति गुर्जर निवासी दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)

....अपीलान्टान

बनाम

गीता पत्नी बल्लो जाति गुर्जर निवासी ग्राम सह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.10.2020/26.10.2020 बाबत नामान्तरकरण संख्या 181 ग्रांम चक बोरई तहसील कुम्हेर।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.102020/26.10.2020 पेश की गई है। तहसीलदार कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2020 की पालना में विरासत नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 26.10.2020 रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील/16/2021

1. सुरेश सिंह पुत्र रामलाल उम्र 48 साल जाति गुर्जर निवासी दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)
2. कमलेश उर्फ गुड्डी उम्र 43 साल जाति गुर्जर निवासी दांदीपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)

....अपीलान्टान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

बनाम

गीता पत्नी बल्लो जाति गुर्जर निवासी ग्राम सह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.10.2020/26.10.2020 बाबत नामान्तकरण संख्या 122 ग्रांम चक सह तहसील कुम्हेर।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 07.10.2020/26.10.2020 पेश की गई है। तहसीलदार कुम्हेर ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2020 की पालना में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 26.10.2020 रेस्पो0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द सिंह डांगुर, एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री धर्मगोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 30.12.2021

उक्त अपीलों को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो0 एवं उनके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उक्त अपीलों में एक ही पक्षकारान एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण उक्त प्रकरणों की एक ही बहस सुनी जाकर इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपीलों में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट की पुत्री मंजेश रैस्पोडेन्ट गीता की पुत्रबधू है। मंजेश की दिनांक 28.02.2020 को उसके पति व परिवारीजन के द्वारा हत्या करने के प्रकरण में मंजेश के पति बंटी के विरूद्ध न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी, 498ए के तहत चालान पेश किया गया है। मंजेश की मृत्यु के बाद उसकी स्वयं की खातेदारी में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1231, 181 एवं 122 दिनांक 26.10.2020 तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा रैस्पोडेन्ट गीता जो मंजेश की सास है, उसके नाम दर्ज कया गया है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय में स्पष्ट प्रावधान है कि जो हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह हत व्यक्ति की सम्पत्ति के दाय में पाने के लिये अनहर होगा। चूंकि यहां मंजेश की हत्या की गई है, इसलिये उसके पति को हक से बंचित कर दिया तो यहां उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 व 16 के प्रावधान लागू नहीं होगे, बल्कि उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 25 व 27 के प्रावधान होगे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतका की सास गीता के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने की अहम कानूनी भूल की है एवं मृतका के माता पिता को अपने अधिकार से बंचित किया गया है। इसलिये अपीलान्ट एग्रीब्ड है और पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.02.2021 को उस समय हुई जब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से अपीलान्ट के नाम मंजेश की खातेदारी का नामान्तरकरण खोलने के बाबत जानकारी चाही तो मालूम चला कि तहसीलदार कुम्हेर के द्वारा मंजेश की खातेदारी का नामान्तरकरण रैस्पोडेन्ट के नाम खोल दिया गया है जिस पर उसी रोज नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 19.02.2021 को प्राप्त हुई। नकल लेने एवं होने जानकारी से नकल अन्दर म्याद है। देरी को माफ करने हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीर 2007 एआईआर (देहली) पेज 107 पेश की। अभिभाषक अपीलाट उक्त अपीलें अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर अपीलार्थी के पक्ष में विवादित आराजी का दाखिल खारिज स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक रैस्पोडेन्ट ने जबाब बहस में कथन किया कि यह सही है कि मंजेश का पति बन्टी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी, 498ए के तहत ट्राईल फेस कर रहा है। प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नही कर दिया जाता तब तक कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रैस्पोन्डेट ने यह भी कथन किया है कि मंजेश के नाम दर्ज आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.12.2019 उसके ससुर से प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15बी के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 1231, 181, 122 दर्ज किया है, जो नियमानुसार सही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से एग्रीब्ड नहीं है, इसलिये अपीलान्ट को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रैस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरे प्रस्तुत कीः–

1. 1978 (2) एससीसी पेज 542 पैरा 29 लगायत 30
2. 1999 (4) एससीसी पेज 86 पैरा 5 लगायत 7
3. 2009 डीएनजे (एससी) पेज 618
4. 2009 (1) डीएनजे पेज 275 पैरा 7 लगायत 8
5. 2007 (3) डीएनजे (राज.) पेज 1599 पैरा 9 एवं 10

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1231 वाकै ग्राम सह दिनांक 26.10.2020 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1061, 724, 309, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77 के विरासत का गीता पत्नी बल्लो के नाम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 181 वाकै ग्राम चक बोरई दिनांक 26.10.2020 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 39 के विरासत का गीता पत्नी बल्लो के नाम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 122 वाकै ग्राम चक सह दिनांक 26.10.2020 के द्वारा आराजी खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नम्बर 63 के विरासत का गीता पत्नी बल्लो के नाम दर्ज हुआ हैं। यह निर्विवादित है कि गीता पत्नी बल्लो, मंजेश की सास है। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि मंजेश का पति बन्टी दहेज हत्या के प्रकरण में अन्डर ट्राईल है। अभिभाषक रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा की प्रतियों का अवलोकन किया गया। बयनामा दिनांक 10.12.2019 से आराजी खसरा नम्बर 49/0.38, 50/0.22, 60/0.29, 61/0.21, 62/0.21, 63/0.20, 64/0.16, 65/0.50, 66/0.37, 67/1.06, 72/0.24, 73/0.80, 74/0.14, 75/0.34, 76/0.27, 77/0.32 किता 16 रकवा 5.70 हैक्टे0 में 1/80 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1061/0.43, 724/0.50 किता 2 रकवा 0.94 हैक्टे0 एवं खसरा नम्बर 903 रकवा 0.49 हैक्टे0 में 127/784 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 39 रकवा 1.05 हैक्टे0 में 1/19 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 63 रकवा 3.15 हैक्टे0 में 1/24 हिस्सा का बेचान किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 एवं 16 में हिन्दू नारी के निरवसीयत मरने पर उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) निम्न प्रकार है:–

निरवसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति की धारा 16 में उपवर्णित नियमों के अनुसार –

(क) प्रथमतः (किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतान के सहित) पुत्रों और पुत्रियों और पति को

(ख) द्वितीयतः पति के दायादो को

(ग) तृतीयतः माता और पिता को

(घ) चतुर्थतः पिता के दायादों को

(ड) अन्ततः माता के दायादों को

प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण के अन्दर मंजेश का पति बन्टी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत अनर्ह किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मंजेश की सम्पत्ति का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार न्यागत होगी। अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2007 एआईआर (देहली) पेज 107 का अवलोकन किया गया। उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण में मृतका की आराजी उसके विवाह से पूर्व ही क्रय से प्राप्त हुई है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में मृतका मंजेश को प्राप्त आराजी उसके विवाह के पश्चात क्रय से प्राप्त हुई है एवं इस प्रकरण में विक्रेता के रूप में स्वयं मंजेश के ससुर का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई न्यायिक नजीर प्रश्नगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः इस प्रकरण में मृतका मंजेश की सम्पत्ति का निस्तारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(ख) के अनुसार न्यागत होगा। उपर्युक्त आधार पर अपीले अपीलान्टान खारिज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 14/2021, 15/2021, 16/2021 खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)